कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
(प्रशिक्षण निदेशालय)

क्रमांकः प.11(1)प्रशि/पॉलिसी/2014/ **5598** **दिनांकः 05 अगस्त, 2014**

स्थाई आदेश संख्या – 14/2014

इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या 01/2007 के व्यतिक्रम में निम्न आदेश प्रसारित किया जाता है, जो तुरन्त प्रभावशील होगा।

1. बेसिक प्रशिक्षण काल में अवकाश

(i) प्रारम्भिक प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित संस्था के कमाण्डेंट/प्रधानाचार्य द्वारा निकटतम परिजन की गम्भीर रूग्णता या निधन पर, भाई बहिन के विवाह पर 05 दिन और अति विशेष परिस्थितियों में जैसे दादा–दादी, माता–पिता, भाई–बहिन, स्वयं की पत्नी या पति के निधन पर 12 दिन तथा स्वंय के विवाह हेतु अधिकतम 07 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, परन्तु पूरे प्रशिक्षण काल में यह अवधि 12 दिन से अधिक नहीं होगी।

2. बेसिक प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण संस्थान से स्वैच्छिक अनुपस्थिति

(i) यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान से स्वीकृत अवकाश समाप्त होने के बाद प्रशिक्षण संस्थान में समय पर उपस्थिति न होकर अनुपस्थित हो जाता है, या बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित हो जाता है, जिसकी अवधि 15 दिन से अधिक है अथवा प्रशिक्षण के दौरान बार–बार अनुपस्थित होने पर समग्र अवधि 15 दिन से अधिक है तो सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट को उसकी अनुपस्थिति की सूचना भिजवाते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सिफारिश की जावे तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट से संस्था प्रधान द्वारा निरन्तर पत्र व्यवहार कर जानकारी प्राप्त की जावेगी कि क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण से कार्यमुक्त कर प्रशिक्षण संस्थान में नियमित रूप से आउटडोर प्रशिक्षण में शामिल रखते हुए अन्य प्रशासनिक कार्यों में नियोजित किया जावेगा।

(ii) प्रशिक्षण के प्रथम 05 माह के पश्चात् इस अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों से अनुपस्थित होने वाले उपरोक्त प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों का संयुक्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित किसी एक प्रशिक्षण संस्थान में चलाया जावेगा तथा अन्तिम 04 माह में इसी प्रकार से अनुपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रशिक्षण अगले बैच के साथ होगा, यदि अगले बैच का प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ नहीं होने वाला हो तो सभी प्रशिक्षण संस्थानों से ऐसे अनुपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों का संयुक्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्धारित किसी एक प्रशिक्षण संस्थान में चलाया जावेगा।

3. स्वीकृत अवकाश पर बीमार होना

(i) यदि कोई प्रशिक्षणार्थी स्वीकृत शुदा आकस्मिक अवकाश पर रवाना होता है तथा स्वयं के बीमार हो जाने के कारण स्वीकृत अवकाश के पश्चात् उपस्थित नहीं होकर देरी से उपस्थित होता है किन्तु अपनी बीमारी की उपस्थिति के दिन या रूग्णता पर प्रशिक्षण केन्द्र को पुख्ता सूचना दे देता है और रूग्णता सम्बन्धित चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि अधिकृत राजकीय चिकित्सालय का हो, प्रस्तुत करता है तो सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था प्रभारी इस रूग्णता अवधि जो 07 दिन से अधिक की नहीं हो, का अवकाश स्वीकृत कर सकेगा। उपरोक्त अवधि 10 दिन से अधिक की होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र का मेडिकल बोर्ड से जाँच कराना अनिवार्य होगा तथा यदि रोग प्रमाण पत्र 15 दिन से अधिक का है तो प्रशिक्षणार्थी का अधिकृत चिकित्सक द्वारा पूर्ण रूप से आगामी प्रशिक्षण हेतु स्वस्थ एवं फिट होने के प्रमाण पत्र पर ही उसे प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र की मेडिकल बोर्ड से जाँच करायी जावेगी। किन्तु इस प्रकार रूग्णता के कारण अनुपस्थिति की अवधि 30 दिन से अधिक (स्वीकृत अवकाश के अलावा) होने पर प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण से मुक्त कर प्रशिक्षण संस्थान में ही रोकते हुये उसका प्रशिक्षण इस तरह या अन्य अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों के साथ या अगले बैच के साथ दिया जावेगा। 07 दिन से अधिक रूग्णता अवधि का अवकाश सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

4. बेसिक प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण संस्थान में रूग्ण होना

(i) यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थान में ही प्रशिक्षण के दौरान बीमार हो जाता है और अन्तरंग रोगी (INDOOR PATIENT) के रूप में चिकित्सा प्राप्त करता है, तो उसकी अवधि 30 दिन से अधिक होने पर उसे प्रशिक्षण से मुक्त करते हुए प्रशिक्षण संस्था में ही रोकते हुए पूर्व उल्लेखितानुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(ii) सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा गम्भीर बीमारी के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने में अयोग्य घोषित करने पर ऐसे प्रशिक्षणार्थी को सम्बन्धित महानिरीक्षक पुलिस रेंज/आर0ए0सी0/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट को लिखते हुए उसे वापस जिला/यूनिट में भेजा जावेगा, तथा उसके प्रशिक्षण योग्य होने पर विशेष प्रशिक्षण बैच ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों वाले प्रकरणों या अनुपस्थिति वाले प्रकरणों के साथ चलाया जावेगा।

(iii) यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पुनः आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षणरत है और उसमें भी स्वेच्छा से (बीमारी के अलावा) 15 दिन से अधिक अनुपस्थित हो जाता है तो उसे वापस जिला/यूनिट रवानगी देते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पश्चात् सेवा से पृथक करने की सिफारिश की जावेगी।

5. बढे हुए प्रशिक्षण अवधि को स्थाई करण से जोड़ना

जिन प्रशिक्षणार्थियों का उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण अवधि में अनुपस्थित होने के कारण पुनः प्रशिक्षण करवाया जावेगा उनका परीवीक्षाकाल उतनी अवधि के लिए स्वतः ही बढा हुआ (Deemed Extended) माना जावेगा। इनके स्थाईकरण के समय बोर्ड उनकी अनुपस्थिति के कारणों आदि को ध्यान में रखकर स्थाईकरण के बारे में निर्णय करेगा।

6. सेवा में रहते हुए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में

(i) पदोन्नति संवर्ग के पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स एवं विशिष्ट कोर्स के प्रशिक्षण जिनकी अवधि 15 दिन से कम होने पर कोर्स के दौरान कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। 15 दिन से 30 दिन की अवधि वाले कोर्स में 03 दिन तथा 30 दिन से अधि अवधि के कोर्स में अधिकतम 06 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ii) इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी स्वीकृत शुदा आकस्मिक अवकाश की समाप्ति के पश्चात् अनुपस्थित हो जाता है या बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित हो जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जावेगी तथा 15 दिन से कम अवधि के प्रशिक्षण कोर्स में अनुपस्थिति अवधि 3 दिन से अधिक, 15 दिन से 30 दिन की अवधि वाले कार्स में अनुपस्थिति अवधि 5 दिन से अधिक तथा 30 दिन से अधिक अवधि के कोर्स में अनुपस्थिति अवधि 7 दिन से अधिक होने

पर प्रशिक्षु को उसकी मूल ईकाई में लौटा दिया जावेगा तथा सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेंट को उस कार्मिक को अगले बैच में पुनः प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिए लिखा जावेगा। स्वयं की बीमारी के कारण अनुपस्थिति में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावेगी लेकिन अधिकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वह अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र नहीं होगा।

(ओमेन्द्र भारद्वाज),
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी./पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
6. समस्त कमाण्डेंट, आर0ए0सी0 बटालियन्स मय आई आर बटालियन्स एवं एम.बी.सी. खैरवाड़ा।
7. समस्त पुलिस प्रशिक्षण संस्था प्रधान राजस्थान।

अति0 महानिदेशक पुलिस(प्रशि0)
राजस्थान, जयपुर।